संख्या-98/ओ.आर.डी./1(viii)
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 29 अप्रैल, 2014

परिपत्र सं0 01/04/14

विषय : बोली दस्तावेजों में कमियां ।

संदर्भ : आयोग का दिनांक 9 जुलाई, 2003 का परिपत्र सं0 33/7/03 ।

आयोग सभी प्रापणों/संविदाओं में पारदर्शिता एवं ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी संगठनों पर बल देता रहा है । चिंता का एक विषय, निविदा आमंत्रण सूचनाओं तथा बोली दस्तावेजों को तैयार करने में कमियां होना है जिसके परिणामस्वरूप अस्पष्टता होती है तथा संगठनों द्वारा संविदा पर कार्रवाई करने तथा उनको प्रदान करने के दौरान अन्य प्रकार से व्याख्या करने का अवसर मिलता है ।

2. आयोग ने दिनांक 9 जुलाई, 2003 के अपने कार्यालय आदेश सं0 33/7/03 द्वारा सलाह दी थी कि संगठन जो कुछ भी पूर्व योग्यता, मूल्यांकन/अपवर्जन मानदंड आदि अंगीकृत करना चाहते हैं उन्हें निविदा आमंत्रित करने के समय स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता की मूल अवधारणा एवं निष्पक्षता तथा समानता का पालन हो सके । किसी बोली को स्वीकार करना/अस्वीकार करना मनमाना नहीं होना चाहिए अपितु निर्धारित विनिर्देशनों, मूल्यांकन/अपवर्जन मानदंड के आधार पर होना चाहिए तथा शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि आखिरकार, आरंभ में बोली तैयार करने में बोलीदाता वित्तीय लागत के अतिरिक्त बहुत समय तथा उर्जा खर्च करते हैं तथा, बाद में, विभिन्न स्पष्टीकरणों तथा प्रस्तुतीकरणों को प्रस्तुत करने के लिए संगठनों के साथ अनुवर्तन करते हैं ।

3. उपर्युक्त अनुदेश सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा अनुपालन के लिए दोहराए जा रहे हैं ।

हस्ता0/-
(जे. विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

सेवा में

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी